कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/आदर्श विद्यालय/पीएमयू/2018–19/55 दिनांक 14-08-19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

विषयः– शाला दर्पण पोर्टल पर आदर्श विद्यालयों की त्रुटिपूर्ण सूची में आवश्यक संशोधनोपरांत सूची प्रमाणीकरण के संबंध में।

प्रसंगः– राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल शि.प., जयपुर के पत्रांक–रास्कूलशिप/जय/आदर्श –उत्कृष्ट पी.एम.यू.कार्यवृत्त/2019–20/4192 दिनांक 30.07.2019 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि राज्य में आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत (पुनर्गठित ग्राम पंचायतों सहित) में एक विद्यालय (सामान्यतया कक्षा 01 से 12/10 का विद्यालय) को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

शासन द्वारा स्थापित आदर्श विद्यालयों एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अंकित आदर्श विद्यालयों के नाम, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम, संख्या इत्यादि में विभिन्न अन्तर एवं त्रुटियां पाई गई है। अतः त्रुटियों में सुधार हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

1. सर्वप्रथम आपके कार्यालय की शाला दर्पण लॉगिन आई.डी. से ग्रामीण आदर्श (चरणवार) एवं शहरी आदर्श विद्यालयों की सूचियां प्रिन्ट/डाउनलोड करें।
2. इन सूचियों में अंकित प्रत्येक विद्यालय के नाम, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम, विद्यालय के स्तर(उमावि/मावि/उप्रावि/प्रावि), आदर्श फेज (प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय), यूडाइस कोड, संख्या इत्यादि का आपके कार्यालय के रिकॉर्ड एवं समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार मिलान कर त्रुटियों की पहचान करें तथा इनको सही करते हुए शाला दर्पण से डाउनलोड एक्सेल सीट में गहरे पीले रंग से प्रदर्शित करें।
3. यदि कार्यालय रिकॉर्ड एवं समय–समय पर जारी आदेशों में घोषित आदर्श विद्यालयों के स्थान पर शाला दर्पण पोर्टल पर अन्य विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं तो इन्हें सही करते हुए नारंगी रंग से प्रदर्शित करें।
4. यदि कार्यालय रिकॉर्ड एवं समय–समय पर जारी आदेशों में घोषित आदर्श विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो इनके विवरण को प्रिन्ट/डाउनलोड सूची में जोडते हुए हल्के नीले रंग से प्रदर्शित करें तथा इनका उल्लेख विशेष विवरण कॉलम में भी अवश्य करें।
5. यदि कोई ग्रामीण आदर्श विद्यालय शहरी आदर्श में स्थानान्तरित हुआ है तो उसका उल्लेख विशेष विवरण कॉलम में करते हुए एक्सेल सीट में उस विद्यालय को हल्के लाल रंग से प्रदर्शित करें।
6. यदि पूर्व में घोषित आदर्श विद्यालय अन्य विद्यालय में समन्वित अथवा बन्द हो गया है तो उसका उल्लेख भी विशेष विवरण कॉलम में करते हुए एक्सेल सीट में उस विद्यालय को गहरे हरे रंग में प्रदर्शित करें। (ऐसे विद्यालयों के प्रस्ताव पृथक से तैयार कर प्रेषित करें)

अतः उपर्युक्तानुसार अपने जिले के ग्रामीण/शहरी आदर्श विद्यालयों की वर्तमान स्थिति का शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित आदर्श विद्यालयों से मिलान कर कार्यवाही सम्पादित करते हुए दिनांक 27.08.2019 तक रिपोर्ट हार्ड कॉपी (पीडीएफ–हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणित/सत्यापित

प्रति) एवं सॉफ्ट कॉपी (ऐक्सल) में तैयार कर इस कार्यालय को ई–मेल आई.डी.–rajadarsh school2017@ gmail .com पर प्रेषित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/आदर्श विद्यालय/पीएमयू/2018–19/55 दिनांक 14-08-19

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन उपसचिव–प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
5. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
6. उपायुक्त–प्रथम, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा)।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माशि/प्राशि।
9. समस्त अति.जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान।
11. प्रभारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, जयपुर।
12. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Scanned by CamScanner